55 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर आत्महत्या की

आत्महत्या से पहले वीडियो बनाया, विभाग के अधिकारियों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया

- बेटे ने पुलिस को बताया कि अधिकारी मां के स्थान पर किसी और की नियुक्ति करना चाहते थे
- आरोप है कि मां से नौकरी बचाने की एवज में डेढ़ लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी
- घटना को लेकर जैन समाज ने प्रदर्शन करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने तथा मृतका के पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी देने की मांग की

उदयपुर, (कासं)। उदयपुर में 55 साल की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ने जहर खाकर सुसाइड कर लिया। सुसाइड से पहले वीडियो बनाया जिसमें विभाग के अफसरों पर टॉर्चर करने के आरोप लगाए। बेटे ने पुलिस को बताया कि अधिकारी मां के स्थान पर किसी और की नियुक्ति करना चाहते थे। मां से नौकरी बचाने की एवज में डेढ़ लाख रुपए की डिमांड की जा रही थी।

घटना उदयपुर के धानमंडी थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात 10 बजे के करीब देहलीगेट हनुमान मंदिर की है। महिला ने यहीं जहर खाकर वीडियो बनाया और बेटे को कॉल कर जहर खाने की बात बताई। मौके पर पहुंचे परिजन महिला को जिला हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर उदयपुर शहर विधायक ताराचंद जैन भी हॉस्पिटल पहुंचे, जहां परिजन ने अधिकारियों की शिकायत की। धानमंडी पुलिस ने बताया अंजुबाला (55) पत्नी रतनलाल दलाल उदयपुर में सज्जनगढ़ रोड भीलू राणा आंगनबाड़ी में कार्यरत थीं। वे राताखेता श्रीजी पब्लिक स्कूल के पास रहती थी। शुक्रवार देहलीगेट हनुमान मंदिर के पास से उन्होंने बेटे अनमोल दलाल को कॉल किया।अंजुबाला ने बेटे को बताया कि उन्होंने जहर खा लिया है। परिवार के लोग तुरंत देहलीगेट मंदिर पहुंचे। वहां मां बेसुध हालात में मिली। उन्हें वे जिला हॉस्पिटल ले गए जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया।

बेटे अनमोल दलाल ने आरोप लगाया आंगनबाडी में काम को लेकर मां अंजुबाला को विभाग के अधिकारी शारदा बंशीवाल, जया वीरवाल, दिनेश मीणा एवं आंगनबाडी कार्यकर्त्ता अतिका मानसिक रूप से प्रताडित कर रहे थे। वे मां के स्थान पर अपने चहेते को नियुक्त करना चाहते थे। मां से कहते थे कि नौकरी करने है तो डेढ लाख रुपए देने होंगे। इससे मां बहुत परेशान थी। उन्होंने यह बात मुझे भी बताई और वीडियो बनाकर भी कही।बेटे अनमोल दलाल ने मामले की रिपोर्ट धानमंडी थाने में दर्ज कराई। महिला के परिजन ने उच्च अधिकारियों को प्रताडति किए जाने की शिकायत की। धार्मिक भेदभाव का भी आरोप लगाया। परिजनों ने पुलिस को महिला का वीडियो उपलब्ध कराया है।

महिला का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह अधिकारियों की प्रताड़ना से तंग आकर जहर खाकर सुसाइड करने की बात कह रही है। अपने विभाग के अफसरों पर गंभीर आरोप भी लगाए। कहा कि अफसरों ने मानसिक रूप से इतना परेशान कर दिया कि मजबूरी में आत्महत्या कर रही हूं। घटना के विरोध में शुक्रवार रात उदयपुर जिला अस्पताल में लोगों की भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने लोगों को समझाकर शांत किया। मृतक महिला की बेटी निशा पितलिया के अनुसार जया वीरवाल (भतीजी) और शारदा बंशीवाल (बूआ) दोनों बूआ-भतीजी हैं। दोनों महिला एवं बाल विकास विभाग में सुवरवाइजर हैं। दिनेश मीणा विभाग में बाबू है और अतीका आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। इन लोगों ने मेरी मां को बहुत प्रताड़ित किया। कई बार मेरी मां उनके साथ ही पीड़ा बताती थी कि मुझे ये लोग बहुत परेशान करते हैं। मुझे हटाकर किसी और को कार्यकर्ता को लगाने का दबाव बना रहे हैं। निशा ने बताया कि हम तीन बहन और एक भाई हैं। जिसमें मैं सबसे छोटी बेटी हूं।

घटना को लेकर जैन समाज ने शनिवार को जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करते हुए दोषियों को गिरफ्तार करने तथा मृतका के पुत्र अथवा पुत्री को सरकारी नौकरी देने की मांग की। शनिवार को समझाइश के बाद एमबी हॉस्पिटल मोर्चरी में पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौप दिया गया।

दो लोगों की हत्या की तैयारी कर रहा युवक गिरफ्तार

- पुलिस ने युवक के कब्जे से पिस्टल, छह जिंदा कारतूस बरामद किये

भीलवाड़ा, (निसं)। जिले के कारोई थाना क्षेत्र में दो लोगों की हत्या की तैयारी कर रहे युवक को पुलिस ने पिस्टल और छह जिंदा कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया।

कारोई थाना प्रभारी सुरेंद्रसिंह राठौड़ ने बताया कि शुक्रवार को थाने पर मुखबिर से सूचना मिली कि सोपुरा में टी पॉइंट पर किराणा की दुकान के पीछे रहने वाले एक व्यक्ति के पास पिस्टल हो सकती है। सूचना पर थाना प्रभारी राठौड़ मय जाब्ता सोपुरा पहुंचे और किराणा की दुकान के पीछे की ओर जाने लगे, तभी एक व्यक्ति आता दिखा, जिसके कंधे पर काले रंग का बैग लटका हुआ था। वह पुलिस को देखकर सकपका गया और तेज कदमों से चलकर वापस जाने लगा। पुलिस ने उसे घेरा डालकर पकड़ा और पूछताछ की तो उसने खुद को सोपुरा निवासी शंकरपुरी (25) पुत्र श्यामपुरी गोस्वामी होना बताया। पुलिस ने संदेह के आधार पर बैग की तलाशी ली तो उसमें एक पिस्टल मय मैग्जीन व एक थैली में छह जिंदा कारतूस व एक खाली मैग्जीन मिली। हथियार अवैध होने से पुलिस ने जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।

पुलिस पूछताछ में उसने कबूल किया कि दिसम्बर 2024 व जनवरी 2025 में दौलपुरा के कैलाश गुर्जर एवं प्रकाश गुर्जर उसके, उसके पिता श्यामपुरी एवं अंकल के लड़के बुद्ध पुरी के साथ लड़ाई-झगड़ा कर मारपीट की थी। इसका बदला लेने के लिए वह झालना (महाराष्ट्र) से यह पिस्टल और छह जिन्दा कारतूस खरीद कर तीन जुलाई को अपने गांव सौपुरा आ गया। आरोपित ने कबूल किया कि वह कैलाश व प्रकाश गुर्जर को जान से मारने के लिए इनकी लोकेशन का इंतजार कर रहा था।

शेरसिंह हत्याकांड का मुख्य आरोपी न्यायिक हिरासत में

हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद, फरार आरोपी माउंट आबू से गिरफ्तार

राजसमंद, (निसं)। जिले के बहुचर्चित शेरसिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मामले के मुख्य आरोपी रामसिंह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहाँ से उसे 15 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त हथियार भी बरामद कर लिया है।

यह था मामला :- शेरसिंह की हत्या 24 जून को प्रतापपुरा पुलिया पर हुई थी। पुलिस जाँच में सामने आया कि इस हत्या का मुख्य आरोपी रामसिंह है, जो मृतक शेरसिंह की पत्नी प्रमोद कंवर का प्रेमी है। पुलिस के अनुसार रामसिंह और प्रमोद कंवर ने मिलकर शेरसिंह की हत्या की साजिश रची थी। पुलिस की प्रारंभिक जाँच में खुलासा हुआ है कि रामसिंह और प्रमोद कंवर के बीच पिछले 14 साल से प्रेम संबंध थे। शेरसिंह इन संबंधों में बाधक बन रहा था, जिसके चलते दोनों ने मिलकर उसकी हत्या करने की योजना बनाई। घटना के बाद से रामसिंह लगातार फरार चल रहा था। पुलिस से बचने के लिए वह अहमदाबाद, मुंबई, सूरत और माउंट आबू जैसी जगहों पर छिपता रहा। पुलिस ने तकनीकी सहायता और सीसीटीवी फुटेज की मदद से उसे माउंटआबू से धर दबोचा। इस मामले में रामसिंह के अलावा तीन अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। कांकरोली थानाधिकारी हंसाराम सीरवी ने बताया कि पुलिस इस मामले में गहनता से जांच कर रही है और जल्द ही अन्य तथ्यों का भी खुलासा होगा।

पूर्व सीएम गहलोत ने मेरी दिवंगत माता पर जो आरोप लगाए थे, वे पूरी तरह निराधार : शेखावत

'अब अशोक गहलोत ओछी राजनीति पर उतर आए हैं और मीडिया के जरिए मुझे संदेश भेज रहे हैं, यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है'

- केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी

जोधपुर, (कासं)। केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयानों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राजनीति में वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, पर व्यक्तिगत आक्षेपों के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। शनिवार को सर्किट हाउस में आयोजित प्रेसवार्ता में शेखावत ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इसी सर्किट हाउस में मेरी दिवंगत माता पर जो गंभीर आरोप लगाए थे, वे पूरी तरह निराधार और निंदनीय हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अब अशोक गहलोत ओछी राजनीति पर उतर आए हैं और मीडिया के जरिए मुझे संदेश भेज रहे हैं। यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शेखावत ने स्पष्ट किया कि वे इस मुद्दे को केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि व्यक्तिगत सम्मान और परिवार की गरिमा से जुड़ा मामला मानते हैं।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कांग्रेस द्वारा भाजपा सरकार पर संविधान से छेड़छाड़ के आरोप लगाना बिल्कुल भी शोभनीय नहीं है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा अल्पसंख्यकों को 'पहला अधिकार' देने की बात को कौन भूल सकता है? इसलिए पहले कांग्रेस को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए, उसके बाद भाजपा पर कोई आरोप लगाना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा आपातकाल पर माफी मांगने से जुड़े सवाल पर भी शेखावत ने कड़ा पलटवार किया। उन्होंने कहा कि क्या जबरन नसबंदी के शिकार लोग उस अमानवीयता को भूल पाएंगे? क्या उनका कोई कसूर था? यह विषय क्षमा योग्य नहीं है।

केंद्रीय मंत्री शेखावत दो टूक कहा कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केवल अपनी सत्ता बचाने के लिए लोकतंत्र का गला घोंटा। उन्होंने कहा कि लंबी गुलामी और लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद भारत को आजादी मिली। वैदिक काल से लेकर मध्यकाल तक इतिहास में देश की गौरवशाली परंपराओं के प्रमाण मिलते हैं। हमारा संविधान दुनिया का सबसे सजीव और प्रगतिशील संविधान है, जो 1950 में लागू हुआ। इसी के साथ नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी प्राप्त हुई, लेकिन देश पर थोपे गए आपातकाल के दौरान हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। मीडिया पर घोषित और अघोषित प्रतिबंध लगाए गए। पत्रकारों को जेल भेजा गया और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को भी दबा दिया गया।

केंद्रीय मंत्री शेखावत ने कहा कि आजादी के बाद के शासनकाल में हुए जनांदोलनों को नकारा नहीं जा सकता। 1977 में जब जनता ने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई, तब जाकर लोकतंत्र की पुनर्स्थापना हुई। आज वही लोग मीडिया की स्वतंत्रता की बात करते हैं, जिन्होंने उस दौर में मीडिया का गला घोंट दिया था। उन्होंने कहा कि भविष्य में संविधान पर कोई हमला नहीं हो, उसको लेकर भाजपा जनजागरण कर रही है।

अवैध खनन कर ला रहा डंपर जब्त

रूपनगढ़, (निसं)। रूपनगढ़ थाना पुलिस ने अवैध खनन एवं परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एक डंपर को जब्त किया है। थाना प्रभारी सत्यवान सिंह मीणा ने बताया कि पुलिस टीम ने गश्त दौरान सुरसुरा ग्राम के पहाड़ी रास्ते से आते एक संदिग्ध डंपर को रोका गया, जिसकी आगे और पीछे की नंबर प्लेट गायब थी। पूछताछ के दौरान चालक ने डंपर का नंबर बताया। पुलिस द्वारा ऐप के माध्यम से जांच करने पर नंबर सही पाया गया, लेकिन डंपर में भरे पत्थर, गिट्टी और मिट्टी के मिश्रण की जांच करने पर यह स्पष्ट हुआ कि सामग्री अवैध रूप से पहाड़ी क्षेत्र से खनन की गई है। जब चालक से वाहन से संबंधित दस्तावेज मांगे गए तो वह कोई वैध कागजात प्रस्तुत नहीं कर सका। इसके बाद पुलिस ने उक्त डंपर को मोटर वाहन अधिनियम की धारा 207 के तहत जब्त करते हुए थाना परिसर में खड़ा कर दिया। साथ ही अवैध खनिज सामग्री को लेकर पृथक से कार्रवाई हेतु खनिज विभाग को सूचित कर दिया गया है। पुलिस टीम में थानाधिकारी सत्यवान सिंह मीणा के नेतृत्व में की बनवारीलाल, सहायक उप निरीक्षक कांस्टेबल विजय कुमार, बनवारीलाल, राजेन्द्र प्रसाद, चालक ने कार्रवाई की।

ऑनलाइन ठगी कर नगदी निकाली

मदनगंज किशनगढ़, (निसं)। न्यायिक मजिस्ट्रेट ने ऑनलाइन धोखाधड़ी कर बैंक खाते से 1.7 लाख रुपए निकालने वाले अज्ञात आरोपी के खिलाफ अंराई थाना पुलिस को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। धौलपुरिया निवासी पीड़ित मंगलराम जांगिड़ ने एडवोकेट रूपेश शर्मा के जरिए न्यायलय में परिवाद प्रस्तुत कर बताया कि अज्ञात बदमाश ने धोखाधड़ी पूर्वक बैंक अकाउंट को हैक कर एक लाख सात हजार रुपए ऑनलाइन निकाल लिये। अदालत ने एडवोकेट शर्मा के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी के खिलाफ साइबर क्राइम में मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिया।

ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी के मामले में दो गिरफ्तार

राजसमंद, (निसं)। जिले के कांकरोली पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी के आरोप में दो युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस आरोपियों से पूछताड कर मामले की जांच कर रही है।

थाना अंतर्गत मोही में ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी के मामले में पुलिस ने पीड़ित की रिपोर्ट के अनुसार कार्रवाई करते हुए युवकों को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हंसाराम सीरवी ने बताया कि मोही निवासी पीडित मुकेश धोबी ने 1 जुलाई को ट्रैक्टर ट्रॉली चोरी की शिकायत दी। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए पुलिस टीम का गठन किया।

गठित पुलिस ठीम ने विभिन्न स्थानों पर दबिश देते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें रमेश पूर्बिया और कमल कीर को डिटेंन किया गया। कड़ी पूछताछ की गई है जिसमें उन्होंने ट्रैक्टर-ट्रॉली चोरी करना कबूल किया है, पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज व संदिग्धों के स्थान पर दबिश देते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

सेंट्रल जेल का निरिक्षण करने पहुंची विजया राहटकर

जोधपुर, (कासं)। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर शनिवार को जोधपुर प्रवास पर रही। अपने दौरे के दौरान विजया राहटकर सुबह सेंट्रल जेल पहुंची।

उन्होंने कहा कि जब तक समाज में महिलाओं के प्रति बुरी सोच में बदलाव नहीं आता, तब तक महिलाओं को समान अधिकार दिलाने का उद्देश्य पूर्ण नहीं हो सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार और कानून अपनी ओर से पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन समाज में व्याप्त संकीर्ण मानसिकता महिलाओं की प्रगति में बाधक बनती है, जिससे अनेक बार महिलाओं का अपमान सहन करना पड़ता है और उनके अधिकारों का हनन होता है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति में सबसे जरूरी है कि समाज स्तर पर ही सोच बदलने की प्रक्रिया शुरू हो।

राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष विजया राहटकर ने कहा कि महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामलों में पुलिस को और भी अधिक संवेदनशील होकर कार्य करना चाहिए ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। वहीं, महिलाओं द्वारा आपराधिक कदम उठाए जाने के मामलों पर उन्होंने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि कुछेक घटनाओं के आधार पर महिलाओं के प्रति पूर्वाग्रह नहीं रखना चाहिए, बल्कि उन वास्तविक पीड़ित महिलाओं की आवाज को प्रमुखता से उठाना चाहिए, जिन पर अत्याचार हो रहा है।

राहटकर ने जोधपुर सेंट्रल जेल में महिला कैदियों से संवाद कर उनकी समस्याओं व आवश्यकताओं की जानकारी ली तथा उन्हें महिला अधिकारों के प्रति जागरूक किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जेल में महिला कैदियों को दिए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता की भी जांच की। इस दौरान उन्होंने जेल अधीक्षक प्रदीप लखावत, महिला जेल डिप्टी जेलर लीला प्रजापत से भी चर्चा कर निर्देश दिए। उन्होंने महिला बंदियों को उनके कानूनी अधिकार समझाते हुए कहा कि वे किसी भी प्रकार की समस्या या शोषण की स्थिति में शिकायत करने से न डरें। निरीक्षण से पूर्व उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी प्रदान किया गया। इस अवसर पर सहायक कलेक्टर (फ़ास्ट ट्रैक) जोधपुर मधुलिका सिंवर, उपनिदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग जोधपुर समदरसिंह भाटी सहित जिला प्रशासन, पुलिस के अधिकारी भी उपस्थित रहे।

दिनदहाड़े चोरों ने सूने मकान को निशाना बनाया

डॉक्टर के पास गई थी महिला, पीछे से घर सूना था

- एक लाख नकद सहित जेवरात पर हाथ साफ किया

अजमेर, (कासं)। शहर में सक्रिय चोर गिरोह के हौंसलते इतने बुलंद हो गए हैं कि अब दिनदहाड़े चोरी की वारदात अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही एक मामला शनिवार को रामगंज थाना क्षेत्र का सामने आया, जहां सोमलपुर में अज्ञात नकबजनों दिनदहाड़े वारदात को अंजाम देकर एक तोला सोना, चांदी और एक लाख रुपए नकद पर हाथ साफ कर दिया।

सोमलपुर निवासी पीड़िता महिला ने रामगंज थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि वह अपने बीमार पति पीर मोहम्मद को डॉक्टर के पास दिखाने गई थी, दो साल से पति लकवे की बीमारी से ग्रस्त है और पूरे परिवार की जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। पति के इलाज के लिए जो रकम उन्होंने जमा की थी, वह भी चोर चुरा ले गए। परिवार में छोटे-छोटे बच्चे हैं और उनकी देखभाल का बोझ भी कमला पर ही है। पीड़िता ने बताया कि जब वह डॉक्टर से वापस लौटी तो घर का ताला टूटा मिला और सारा सामान बिखरा पड़ा था। घटना की सूचना मिलते ही रामगंज थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी।

लाखों की नगदी और जेवर सहित दस्तावेज चोरी

परिवार तीन जुलाई को जयपुर गया हुआ था और शनिवार देर रात घर लौटने पर चोरी का पता चला

- पीड़ित परिवार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर शहर में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, जिससे पुलिस की गश्त व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अटलबंध थाना क्षेत्र स्थित सेटेलाइट अस्पताल के पास प्रकाश सोनी के मकान में अज्ञात चोरों ने लाखों रुपये के सोने-चांदी के जेवरात, नगदी, मोबाइल फोन और जरूरी कागजात चोरी कर लिए। परिवार तीन जुलाई को जयपुर गया हुआ था और शनिवार देर रात घर लौटने पर चोरी का पता चला।

पीड़ित परिवार ने अज्ञात चोरों के खिलाफ अटल बंद थाना क्षेत्र में मामला दर्ज करा दिया है पुलिस जांच में जुट गई है। पीड़ित प्रकाश सोनी ने बताया कि वह तीन जुलाई को अपने परिवार के साथ जयपुर गया था, शनिवार देर रात जब वे घर लौटे तो देखा कि मकान के मुख्य दरवाजे के ताला टूटा हुआ मिला। घर के अंदर पहुंचने पर कमरे की आलमारी का लॉक टूटा हुआ था जिसके पास एक हथौड़ा और आरी पड़ी थी, आलमारी में रखे लाखों रुपये , सोने-चांदी के आभूषण, मोबाइल फोन और जमीन से संबंधित कागज चोर अपने साथ ले गए। पीड़ित ने घटना की सूचना अटलबंध थाना पुलिस को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि अज्ञात चोरों की तलाश में लगे हुए हैं, चोरों की पहचान के लिए क्षेत्र में लगे सीसीटीवी कैमरों को देखा जा रहा है। चोरी की घटनाओं को लेकर के स्थानीय लोगों ने नाराजगी भी जताई है।

ट्रक से 168 किलो डोडा-चूरा जब्त, एक गिरफ्तार

- वहीं एक किलो अफीम सहित एक आरोपी को गिरफ्तार किया
- केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने दो अलग-अलग कार्रवाई की

कोटा, (निसं)। राजस्थान में अवैध मादक पदार्थो की तस्करी व तस्करों की धरपकड़ के लिये केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम द्वारा लगातार अभियान चलाया जा रहा है। उसी अभियान के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन) टीम ने दो अलग-अलग स्थानों पर अवैध मादक पदार्थ के खिलाफ कार्रवाई करते हुए ट्रक से अवैध मादक पदार्थ 168 किलो डोडा-चूरा को जब्त किया। वहीं (सीबीएन) की दूसरी टीम ने कार से एक किलो अवैध मादक पदार्थ अफीम बरामद की। यह दोनों कार्रवाई केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरा के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के निर्देशन में की गई।

ट्रक से जब्त अवैध मादक पदार्थ डोडा-चूरा के बैग।

उपनारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ट्रक से नारायणपुरा टोल प्लाजा होता हुआ चित्तौड़गढ़-उदयपुर राजमार्ग, चित्तौड़गढ़ पर अवैध डोडा-चूरा ले जा रहा है। उपनारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि उक्त सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), चित्तौड़गढ़ सेल के अधिकारियों की टीम का गठन किया गया और टीम को मौके पर रवाना किया गया। गठित टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी और मुखबीर द्वारा बताये गये वाहन की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद निवारक दल ने उसे रुकने का इशारा किया और टीम द्वारा ट्रक की तलाशी ली गई। उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि टीम ने तलाशी के दौरान ट्रक से 9 बैग अवैध डोडा-चूरा 168.120 किलोग्राम बरामद किया। टीम ने मौके पर कानूनी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद बरामद अवैध डोडा-चूरा और ट्रक को जब्त कर लिया और एन.डी.पी.एस. एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

एक किलो अफीम बरामद :- केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो टीम ने अन्य स्थान पर कार्रवाई करते हुए कार से अवैध मादक पदार्थ एक किलो अफीम बरामद की।

उप नारकोटिक्स आयुक्त ने बताया कि मुखबीर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति ऑल्टो से जिला प्रतापगढ़ के तहसील छोटी सादड़ी चरलिया पर अवैध अफीम की तस्करी करेगा। उक्त सूचना पर केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (सीबीएन), प्रतापगढ़ डिविजन द्वितीय और प्रतापगढ़ सेल के अधिकारियों की संयुक्त टीम का गठन किया गया और टीम को मौके के लिये रवाना किया गया। टीम ने संदिग्ध मार्ग पर कड़ी निगरानी रखी और वाहन की सफलतापूर्वक पहचान करने के बाद निवारक दल ने उसे रुकने का इशारा किया और तलाशी ली गई। गठित टीम ने तलाशी के दौरान कार से एक किलोग्राम अवैध अफीम बरामद की और वाहन को जब्त कर लिया और एन.डी.पी.एस. एक्ट में कार्रवाई करते हुए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। आगे की जांच प्रक्रिया जारी है।

हनीट्रैप मामले में महिला गिरफ्तार, 25 लाख रुपए ऐंठे

- शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक को बलात्कार केस में फंसाने की धमकी दी थी, न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा

पावटा, (निसं)। बानसूर थाना पुलिस ने एक 44 वर्षीय महिला को हनीट्रैप और साइबर ब्लैकमेलिंग के गंभीर मामले में गिरफ्तार किया है। महिला पर आरोप है कि वह शिक्षा विभाग में शारीरिक शिक्षक को बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने के नाम पर धमकी देकर लाखों रुपए ऐंठ रही थी।

जिला कोटपुतली बहरोड़ पुलिस अधीक्षक राजन दुष्यंत, उपमहानिरिक्षक पुलिस सह जिला पुलिस अधीक्षक के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कोटपुतली एवं वृत्ताधिकारी वृत्त बानसूर के सुपरविजन व बानसूर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने हनीट्रैप मामले में मुल्जिमा चेतना गुप्ता को गिरफ्तार किया है। बानसूर थानाधिकारी सुरेंद्र मलिक ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि परिवादी ने 23 जून को मुल्जिमा चेतना गुप्ता के खिलाफ बलात्कार के झूठे मामले में फंसाने के नाम पर रुपए ऐंठने का अभियोग दर्ज करवाया था। जिस पर कार्यवाही करते हुए मुल्जिमा चेतना गुप्ता को बाद अनुसंधान गिरफ्तार किया जाकर न्यायालय में पेश कर न्यायिक अभिरक्षा में दाखिल करवाया गया है। गिरफ्तारी की इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सुरेंद्र मलिक के नेतृत्व में गठित विशेष टीम ने अहम भूमिका निभाई। टीम में महिला कॉन्स्टेबल नरेश कालिका यूनिट थाना बानसूर, महिला कॉन्स्टेबल सोना कालिका यूनिट थाना बानसूर, रविन्द्र सिंह कांस्टेबल बानसूर थाना शामिल थे।

तीन युगल शांतिभंग में गिरफ्तार : कोटा के अन्नतपुरा पुलिस टीम ने इलाके में स्थित एक होटल पर कार्रवाई करते हुए होटल में बिना आईडी के रूकने पर तीन युगल को शांति भंग में गिरफ्तार किया साथ ही पुलिस ने होटल के संचालक व मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है। शहर एसपी डॉ. अमृता दुहन ने बताया कि अन्नतपुरा क्षेत्र में स्थित ट्रांसपोर्ट नगर में होटलों में छात्र-छात्राओं व बाहरी लोगों के बिना आईडी व बगैर आपसी सम्बन्ध के रूकने की शिकायत मिलने पर अन्नतपुरा पुलिस ने ट्रांसपोर्ट नगर में स्थित लव होटल को चैक किया तो होटल में तीन युगल बगैर आईडी के होटल में रूकना पाया गया। शहर एसपी ने बताया कि जिस पर पुलिस टीम ने युगल को शांतिभंग में गिरफ्तार किया। साथ ही पुलिस ने कार्यवाही करते हुए होटल संचालक मुकेश व होटल के मैनेजर को भी गिरफ्तार किया है।